0 8 DEC 2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अमित नाहर हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी ने आदेशिका पर **NOT PRESS** अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी कंपनी अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई की गई बहस बाबत् कार्यवाही विड्रो को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली वर्तमान में प्रारम्भिक स्थिति पर लम्बित है प्रकरण वर्तमान में तलबी में ही लम्बित है प्रकरण में पक्षकारान की तलबी होना शेष है। प्रकरण में प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलना चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
0 8 DEC 2021

Web Copy - Not Official